न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी, जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद संख्या :– ——46——/2019

वादीगण :–

1. नारूराम पुत्र महींगाराम
2. खुमाराम पुत्र महींगाराम
3. हणुताराम पुत्र महींगाराम
4. गंगाराम पुत्र महींगाराम
5. भंवरूराम पुत्र महींगाराम
6. उमी पत्नी महींगाराम
7. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम
8. गुणेशराम पुत्र कुम्भाराम

जातियान जाट, निवासीगण ग्राम हतुण्डी, तहसील बावड़ी, जिला जोंधपुर ।

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बावड़ी जिला जोधपुर ।

दावा वास्ते घोषणा खातेदारी अन्तर्गत [illegible] राजस्थान कशतकारी अधिनियम ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]क्टर एव
उपखण्ड [illegible]री, बावड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

उपस्थित :–

1. वादीगण की और से अधिवक्ता प्रेमकुमार विश्नोई उपस्थित
2. राजपेरोकार की तरफ से तहसीलदार बावड़ी ।

निर्णय

दिनांक :– 14.10.2020

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम हतुण्डी तहसील बावड़ी के खसरा नं0 179/3 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 179/5 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 179 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 03 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जो वादीगण संख्या 01 ता 06 के खातेदारी में दर्ज है राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वतः 2072 से 2075 से स्पष्ट है तथा खसरा नं0 179/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 179/2 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 179/4 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 03 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जो वादीगण संख्या 07 ता 08 के खातेदारी में दर्ज है राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वतः 2072 से 2075 से स्पष्ट है । यह भूमि पूर्व में खसरा नं0 179 की रही है तथा बादमें न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि के बंटा नम्बर पड़ गये तथा अलग अलग खसरो में विभक्त हो गई है खसरा नं0 179 का राजस्व नक्शे अनुसार उसका कुल रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा है लेकिन सेटलमेन्ट के समय जमाबन्दी में रकबा 21 बीघा दर्ज कर दिया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

जिसकी शुरू से त्रुटी रहीं है । वादीगण का कब्जा काश्त 47 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर है वादीगण उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि पर शुरू से ही 47 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागु होने से पूर्व से ही काबिज है तथा निरन्तर काश्त करते आ रहे है । मौके पर पीढीयों से पक्की ढाणीया बनी हुई है तथा पानी का टांका, तथा अन्य रोजमर्रा की सुविधाये उपलब्ध है । वादी वक्त सेटलमेन्ट से ही उपरोक्त खसरे की 47 बीघा 14 बिस्वा भूमिं पर राजस्व नक्शा अनुसार काश्त करते है तथा गिरदावरीया भी बनी हुई है जिससे वादीगण का 47 बीघा 14 बिस्वा पर कब्जा है। वादी का जमाबन्दी में दर्ज 21 बीघा रकबे के अलावा 26 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर पुराना कब्जा एवं काश्त होने के कारण वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार कानूनन बन चुके है । जब दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उस वक्त वादीगण का कब्जा एवं काश्त होने के कारण भी वादी खातेदार काश्तकार की श्रेणी में आते है । विवादग्रस्त भूमि की किश्म शुरू से ही राजस्व रेकर्ड में पड़त दर्ज है यह भूमि पूर्ण रूप से काश्त करने योग्य है तथा वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है । उपरोक्त भूमि नदी, नाला, आगोर, ओरण अथवा गोचर किश्म की भूमि नहीं है । राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के कब्जे तक की भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज करना चाहिये [illegible] इस भूमि पर शुरू से ही काश्त करते आ रहे है । वादीगण का [illegible] स्थान पर कब्जा है वह राजस्व नक्शे में अंकित रकबे अनुसार [illegible]ण का बतौर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

खातेदार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना चाहिये था । राज्य सरकार को यह भी देखना चाहिये की वादीगण नक्शे अनुसार मौके पर काबिज है तथा काश्तकार वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व काश्त करते आ रहे है तथा कानूनन वह खातेदार की श्रेणी में आते है । वादी का काश्तकारी कानून लागु होने से पूर्व ही कब्जा चला आ रहा है इस कारण कानूनी दृष्टि से वे विधिवत खातेदार की श्रेणी में आते है । बिनाय दावा वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के कब्जा की भूमि जो नक्शे में दर्ज है तथा जमाबन्दी में रकबा कम दर्ज कर दिया गया तब से एवं जब रि–सेटलमेन्ट की कार्यवाही हुई तब वादीगण ने दिनांक 08.08.2019 को जमाबन्दी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ की जमाबन्दी में नक्शे अनुसार जमाबन्दी में रकबा दर्ज नहीं है तब बमुकाम ग्राम हतुण्डी तहसील बावड़ी में पैदा हुआ । अन्त में वादीगण ने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आश्य की डिक्री जारी की जावे ग्राम हतुण्डी तहसील बावड़ी के खसरा नं0 179 का राजस्व नक्शे अनुसार जमाबन्दी में रकबा दर्ज किया जावे तथा नक्शा में दर्ज 47 बीघा 14 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया, नोटिस तामील के उपरान्त तहसीलदार बावड़ी द्धारा दिनांक 20.[illegible].2020 को वादीगण के वाद का जबाब पेश किया गया तथा वाद पत्र के [illegible] तथा नक्शे अनुसार स्वीकार किया गया । चूंकि प्रतिवादी द्धारा वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला मजिस्ट्रेट, बावड़ी, जि. जोधपुर
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

स्वीकार कर जबाब पेश कर दिया इस कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है । वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हतुण्डी के मूल खसरा नं0 179 का सेटलमेन्ट के नक्शे अनुसार मूल खसरे का रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा है वक्त बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध अधिकारियों की सदभाविक भूल से मिसल बन्दोबस्त में रकबा केवल 21 बीघा दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्त करने काबिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान भू–राजस्व नियमों के अनुसार जिस पर सेटलमेन्ट हुआ था उस वक्त नक्शा पहले बना था तथा मिसल बंदोबस्त बादमें बनी थी अर्थात नक्शे के अनुसार ही मिसल बन्दोस्त में रकबा दर्ज होना चाहिये था । इस प्रकरण में मूल खसरा नं0 179 के नक्शे का रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा है लेकिन मिसल बन्दोबस्त में रकबा केवल 21 बीघा दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकिय त्रुटी है तथा ऐसी त्रुटी को माननीय न्यायालय किसी भी समय दुरूस्त कर रकबा नक्शा अनुसार कर सकता है ।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई वाद पत्र का अवलोकन किया गया तहसीलदार बावड़ी के जबाब का अवलोकन किया गया । तहसीलदार बावड़ी के जबाब अनुसार तथा मौका रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा नं0 179 वर्तमान में 05 बट्टा नम्बरो में [illegible] वक्त [illegible] चुका है तथा इस खसरे का रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा है तथा [illegible] का कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

काश्त भी 47 बीघा 14 बिस्वा पर ही है तथा इस खसरे का रकबा अगर नक्शे अनुसार किया जाता है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है तथा पड़ौसी खातेदार भी प्रभावित नहीं होता है तथा पड़ौसी खातेदार से किसी प्रकार का विवाद नहीं है इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार करने काबिल है ।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हतुण्डी के मूल खसरा नं0 179 का रकबा राजस्व नक्शे अनुसार 47 बीघा 14 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, चूंकि मौका रिपोर्ट एवं जमाबन्दी अनुसार मूल खसरा नं0 179 अलग अलग खसरो में विभक्त हो चुका है इस कारण खसरा नं0 179/1 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर नक्शे अनुसार इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 179/2 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर नक्शे अनुसार इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 179/3 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर नक्शे अनुसार इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 179/4 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर नक्शे अनुसार इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 179/5 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर नक्शे अनुसार इसका रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, तथा मूल खसरा नं0 179 वर्तमान रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 07 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में [illegible] के आदेश तहसीलदार बावड़ी को दिये जाते है । [illegible] का भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

माना जावेगा । तहसीलदार बावड़ी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इसी अनुसार अमल दरामद करे । डिकी पर्चा अलग से जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बावड़ी, जिला जोधपुर सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलेक्टर बावड़ी

व इजलास श्रीमती सुमित्रा पारिक, आरएएस

वादी :–

1. नारूराम पुत्र महींगाराम
2. खुमाराम पुत्र महींगाराम
3. हणुताराम पुत्र महींगाराम
4. गंगाराम पुत्र महींगाराम
5. भंवरूराम पुत्र महींगाराम
6. उमी पत्नी महींगाराम
7. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम
8. गुणेशराम पुत्र कुम्भाराम

जातियान जाट, निवासीगण ग्राम हतुण्डी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बावड़ी जिला जोधपुर ।

Signature Not Verified

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत 88 [illegible]

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं0 46/2019

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी
नारूराम वगैरा बनाम सरकार

किया जाता है । बिसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10, 2020 को जारी की गई ।

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर बावड़ी

मुद्दई	रूपयें पैसे	मुद्दायला	रू.पैसे

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बावड़ी, जिला जोधपुर
सत्यमेव जयते

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested